न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 360 / 2022

बनवारीलाल पुत्र ख्यालीराम, जाति जाट, निवासी ग्राम झांझोत, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज)।
——आवेदक

बनाम

1. श्री संदीप चौधरी पुत्र नामालुम हाल उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज)।
2. राजेन्द्र पुत्र श्री बस्तीराम, जाति जाट, निवासी सुलताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— अनावेदकगण

— — —

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अ0 धारा 235 आर0टी0एक्ट 1955 बाबत दावा संख्या 26 / 2015 उनवानी बनवारी लाल बनाम हरचन्द वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा तारीख पेशी 16.11.2022

— — —

उपस्थितः–

1. श्री नवीनचन्द्र महला, अभिभाषक– आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप बिजारणिया, अभिभाषक– अनावेदकगण सं0 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– अनावेदक सं0 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 21.12.2022

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न है कि दावा उनवानी बनवारीलाल बनाम हरचन्द वगैरह मु0नं0 152 / 2016 तारीख पेशी 16.11.2022 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में लम्बित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.12.2022 नियत थी परन्तु अनावेदक सं0 1 ने अनावेदक सं0 2 द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र बिना दिनांकित पर तारीख पेशी दिनांक 16.11.2022 नियत कर दी जबकि अनावेदक सं0 2 वर्तमान प्रकरण में पक्षकार भी नही है। अनावेदक सं0 2 अपने राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक सं0 1 को अपने असर में लेकर उपरोक्त उनवानी प्रकरण में बिना विधिक प्रकिया अपनाये तारीख पेशी दिनांक 16.11.2022 को ही निर्णय करवाने पर आमादा है। अनावेदक सं0 2 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक सं0 1 ने आवेदक के अधिवक्ता को न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को मौखिक रूप से तलब कर अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई जाकर उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06.12.2022 होने के बावजूद 5 दिवस बाद की दिनांक 16.11.2022 नियत कर उक्त तारीख पेशी पर ही निर्णय [illegible] बाबत कहा। आवेदक के अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.2022 को उक्त प्रकरण में [illegible] 16.11.2022 नियत करने की जानकारी आवेदक को दी तो आवेदक दिनांक 11.11.2022 को ही न्यायालय परिसर में आया तब अनावेदक सं0 2 ने आवेदक को ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से [illegible] बात हो चुकी है व [illegible] राजनैतिक पहुंच है। वह प्रकरण में स्वयं के हक में फैसला करवाउंगा, आपको जो करना है करो। आवेदक को अनावेदक सं0 1 से न्याय की उम्मीद नही है। इस कारण वादी / आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.02 16:12:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

पत्र पेश किया जा रहा है। अतः दरख्वास्त स्थानान्तरण मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी बनवारीलाल बनाम हरचन्द वगैरह मु0नं0 26/2015 तारीख पेशी 16.11.2022 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी चिडावा ने पत्रांक रीडर/22/838 दिनांक 30.11.2022 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बिन्दूवार अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दू सं0 1 अस्वीकार है क्योंकि उक्त मुकदमे की तारीख पेशी 06.12.202 है मुकदमे मे शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र मे तारीख पेशी 16.11.2022 है। बिन्दू सं0 2 मे उनवानी प्रकरण मे तारीख पेशी 06.12.2022 होने के कारण शीघ्र सुनवाई का पेश किया जिसमे तारीख पेशी दोनों पक्षकारों की उपस्थिति मे 16.11.2022 दी गई थी। बिन्द सं0 3 मे वर्णित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 4 मे शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पेश होने पर दोनों पक्षकारान् के वकीलों को शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर आगामी पेशी दिनांक 16.11.2022 दी गई। शेष प्रश्न मे लगाये गये आरोप झूठे होने से अस्वीकार है। बिन्दू सं0 5 मे वणित तथ्य मनगढन्त होने से अस्वीकार है और प्रार्थी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे होने से अस्वीकार है। शेष प्रश्न मे अगर श्रीमान्जी उक्त प्रकरण को अन्य किसी सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है। बिन्दू सं0 6, 7 व 8 कानूनी है, जबाब की आवश्यकता नही है। आवेदक द्वारा उनवानी वाद पत्र का स्थानान्तरण अन्यत्र न्यायालय मे करवाना चाहता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि दावा उनवानी बनवारीलाल बनाम हरचन्द वगैरह मु0नं0 152/2016 तारीख पेशी 16.11.2022 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा की अदालत में लम्बित है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.12.2022 नियत थी परन्तु अनावेदक सं0 1 ने अनावेदक सं0 2 द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र बिना दिनांकित पर तारीख पेशी दिनांक 16.11.2022 नियत कर दी जबकि अनावेदक सं0 2 वर्तमान प्रकरण में पक्षकार भी नही है। अनावेदक सं0 2 अपने राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाकर अनावेदक सं0 1 को अपने असर में लेकर उपरोक्त उनवानी प्रकरण में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तारीख पेशी दिनांक 16.11.2022 को ही निर्णय करवाने पर आमादा है। अनावेदक सं0 2 द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अनावेदक सं0 1 ने आवेदक के अधिवक्ता को न्यायालय में दिनांक 11.11.2022 को मौखिक रूप से तलब कर अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की नकल दिलाई जाकर उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06.12.2022 होने के बावजूद 5 दिवस बाद की दिनांक 16.11.2022 नियत कर उक्त तारीख पेशी पर ही निर्णय करने बाबत कहा। आवेदक के अधिवक्ता ने दिनांक 11.11.2022 को उक्त प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 06.12.2022 नियत करने की जानकारी आवेदक को दी तो आवेदक दिनांक 11.11.2022 को ही न्यायालय परिसर में आया तब अनावेदक सं0 2 ने आवेदक को ऐलानियां धमकी दी कि पीठासीन अधिकारी से उसकी बात हो चुकी है व उसकी राजनैतिक पहुंच है। वह प्रकरण में स्वयं के हक में फैसला करवाउंगा, आपको जो करना है करो। आवेदक को अनावेदक सं0 1 से न्याय की उम्मीद नही है। इस कारण वादी/आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.02 15:12:44 IST
Reason: SelfAttested

...कलेक्टर झुन्झुनू

बनवारीलाल बनाम हरचन्द वगैरह मु0नं0 26/2015 तारीख पेशी 16.11.2022 उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा को नियमित सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अप्रार्थी सं0 2 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वकील प्रार्थी द्वारा लगाये सारे आरोप झूठे व गलत है। प्रार्थी ने कोई प्रकरण मे न्याय मे देरी के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा पर कोई विशिष्ट आरोप नही लगाये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा मे विचाराधीन दावा संख्या 26/2015 उनवानी बनवारी लाल बनाम हरचन्द वगैरह का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु कोई ठोस युक्तियुक्त कारण नही बता पाये। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.01.02 15:12:44 IST
Reason: SelfAttested